8-10-25

पत्रावली पेश है। वकील कोई हाजिर
न्यायालय के आदेशों उपरान्त भी तामील
नहीं कराई जा रही है जो लगातार
न्यायालय के आदेशों की अवहेलना
की श्रेणी में आता है अतः बाद वापिस
नॉन कम्पलाईंस में खारिज किया
जाता है पत्रावली नम्बर से कम हो
बाद तकमील पत्रावली वापिस दफ्तर
होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर